



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/पौष 14, 1938

No. 26]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

खान मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2017

**का.आ. 27(अ).**—खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10) की धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपबंधों, जहां तक इनका संबंध उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकारों द्वारा जारी आशय पत्र (चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो) में अधिकथित शर्तों को पूरा करने से है, को प्रभावी करने में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

अतः अब केंद्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आशय पत्र में अधिकथित शर्तों को पूरा करने से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम खान और खनिज (विकास और विनियमन) कठिनाइयों को दूर करने संबंधी आदेश, 2017 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

**2. पर्यावरणीय अनापत्ति.**—खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10) की धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (ग) में किसी बात के होते हुए भी यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करने की शर्त का आवेदक द्वारा 11 जनवरी, 2017 को या उससे पहले अनुपालन नहीं किया गया है किंतु पूर्व अनुमोदन या आशय पत्र में विनिर्दिष्ट सभी अन्य शर्तें पूरी कर दी गई हैं वहां आवेदनों पर उस धारा के अधीन विचार किया जाएगा और संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन जारी अधिसूचनाओं के अनुसार खनन पट्टा अनुदत्त किया जाएगा :

परंतु कोई खनन क्रियाकलाप तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक आवेदक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा अधिकथित पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त नहीं कर लेता है।

[फा. सं. 7/1/2016-एम. IV (भाग 1)]

सुभाष चन्द्र, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF MINES****ORDER**

New Delhi, the 4th January, 2017

**S.O. 27(E).**—Whereas difficulties have arisen in giving effect to the provisions of clause (c) sub-section (2) of Section 10A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), in so far as it relates to fulfilment of conditions laid in the letter of intent (by whatever name called) issued by the State Governments within a period of two years from the date of commencement of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), the Central Government hereby makes the following order to remove the difficulties relating to fulfilment of conditions laid in the letter of intent, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This order may be called the Mines and Minerals (Development and Regulation) Removal of Difficulties Order, 2017.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Environmental Clearance.**—Notwithstanding anything contained in clause (c) of sub-section (2) of Section 10A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), it is clarified that where the condition of obtaining environmental clearance has not been complied with by the applicant on or before 11th January, 2017, but all other conditions specified in previous approval or the letter of intent have been fulfilled, the applications shall be considered under that section and mining lease shall be granted by the concerned State Governments in accordance with the notifications issued under the Environment (Protection) Act 1986) (29 of 1986):

Provided that no mining activity shall commence unless and until the applicant obtains environmental clearance as laid down under the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.

[F. No. 7/1/2016-M. IV (Part 1)]

SUBHASH CHANDRA, Jt. Secy.